झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः–3/पी॰एम॰सी॰/प्रशा॰–156/09../राँची, दिनांकः ....

प्रेषकः

ई॰ राजेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव (अभिंयत्रण)

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो॰–हिनू, राँची।

द्वाराः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः जल संसाधन विभाग के पलामू जिलान्तर्गत पाण्डू प्रखंड के संगमा नाला मध्यम सिंचाई योजना के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु रू0 823.261 लाख (आठ करोड़ तेईस लाख छब्बीस हजार एक सौ) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

1. जल संसाधन विभाग के पलामू जिलान्तर्गत पाण्डू प्रखंड के संगमा नाला मध्यम सिंचाई योजना के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु रू0 823.261 लाख (आठ करोड़ तेईस लाख छब्बीस हजार एक सौ) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. पलामू जिला के पाण्डू अंतर्गत संगमा नाला मध्यम सिंचाई योजना निर्माण हेतु रू0 414.87 लाख मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक–18/09–10 प्र0स्वी0 दिनांक–22.02.2010 द्वारा प्रदान की गई। जिसके अनुसार इस योजना के पूर्ण होने से 265 हे0 सिंचाई क्षमता के सृजन का आकलन था।
3. इस योजना को A.I.B.P अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर पूर्ण करने हेतु योजना की प्रशासनिक स्वीकृति में संशोधन विभागीय पत्रांक–13/11–12 प्र0स्वी0 दिनांक–31.05.2011 द्वारा किया गया।
4. A.I.B.P अंतर्गत योजना को सम्मिलित नहीं होने के कारण योजना का कार्यान्वयन राज्य योजना शीर्ष से कराया गया।
5. विषयांकित कार्य हेतु मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची द्वारा रू0 394.162 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई जिसमें भू–अर्जन हेतु 0.10 लाख का प्रावधान किया गया। तदोपरांत योजना का कार्य प्रारम्भ किया गया।
6. योजना का भू–अर्जन नहीं होने के कारण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। भू–अर्जन मद में 1,99,22,330 एंव अन्य मदों में 2,65,32,014/– मात्र अर्थात कुल राशि रू0 4,64,54,344/– मात्र का व्यय किया जा चुका है। योजना की भौतिक प्रगति 80% है।

7. योजना में मदवार किए गए प्रावधान एवं व्यय की गई राशि की विवरणी निम्नवत् है:–

क्र० सं०	शीर्ष	मूल प्राक्कलन में प्रावधान	व्यय की गई शीर्ष	अवशेष राशि	पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुसार प्रावधान
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	"A" Preliminary	20000.00	0.00	20000.00	20000.00
2	"B" Land	10000.00	19922330.00	23132094.00	43054424.00
3	"C" Work	38886700.00	26234797.00	12517367.00	38752164.00
4	Approach Road	50000.00	0.00	50000.00	50000.00
5	M.S. Channel gate	60000.00	0.00	60000.00	60000.00
6	1% Contingency	389467.00	297217.00	92250.00	389467.00
Total :-		***39416167.00***	***46454344.00***	***35871711.00***	***82326055.00***

8. योजना को पूर्ण करने हेतु रू0 823.261 लाख की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। जिसमें भू–अर्जन मुआवजा भुगतान हेतु रू0 430.544 लाख का प्रावधान किया गया है। पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि में पूर्व में किया गया भुगतान शामिल है। योजना की राशि के वृद्धि का कारण भू–अर्जन की राशि में वृद्धि है।
9. उक्त योजना के प्राक्कलन पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है।
10. बाँध निर्माण में Soil Compaction विहित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप किया जायगा। संरचनाओं का निर्माण BIS Code में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया जाएगा।
11. योजना के निर्माण कार्य का संबंधित अधीक्षण अभियंता द्वारा नियमित अन्तराल पर निरीक्षण किया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता जवाबदेह होंगे।
12. इस योजना के पूर्ण होने से 265 हे0 सिंचाई क्षमता का सृजन हो सकेगा।
13. योजना का Incidence of Cost 3,10,664/- प्रति हे0 एवं लाभ–लागत अनुपात 10 प्रतिशत ब्याज दर पर 1.50 आकलित है।
14. इस कार्य को वर्ष 2018–19 एंव 2019–20 में पूर्ण किया जाना है।
15. इस कार्य पर होने वाला व्यय बजट शीर्ष 4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–101–सतही जल–18–चालू लघु सिंचाई योजना का निर्माण–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य के अंतर्गत किया जायगा।
16. इस कार्य के निकासी एंव व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद एंव नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची होगे।
17. प्रस्तावित कार्य के कियान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशो एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
18. झारखंड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
19. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
20. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
21. प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति प्राप्त है।
22. प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (योजना–सह–वित्त) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
23. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
24. इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार, झारखण्ड सरकार के द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियत्रण)

पत्रांकः–3 / पी०एम०सी० / प्रशा०–156 / 09... / राँची, दिनांकः ....
प्रतिलिपिः प्रतिलिपिः प्रतिलिपिः योजना –सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड सरकार / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः–3 / पी०एम०सी० / प्रशा०–156 / 09... / राँची, दिनांकः ....
प्रतिलिपिः संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः–3 / पी०एम०सी० / प्रशा०–156 / 09... / राँची, दिनांकः ....
प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग / अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग / अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–3 / अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल मेदिनीनगर / कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल हुसैनाबाद / प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

ह0 / –
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः–3 / पी०एम०सी० / प्रशा०–156 / 09... / राँची, दिनांकः ....
प्रतिलिपिः आयुक्त, पलामू प्रमंडल मेदिनीनगर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0 / –
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः–3 / पी०एम०सी० / प्रशा०–156 / 09... / राँची, दिनांकः ....
प्रतिलिपिः माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः–3 / पी०एम०सी० / प्रशा०–156 / 09 2518 49 प्र.स्था. / राँची, दिनांकः 13.07.2018
प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12/07/2018
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)
12/07/18

3_156_09